(127)

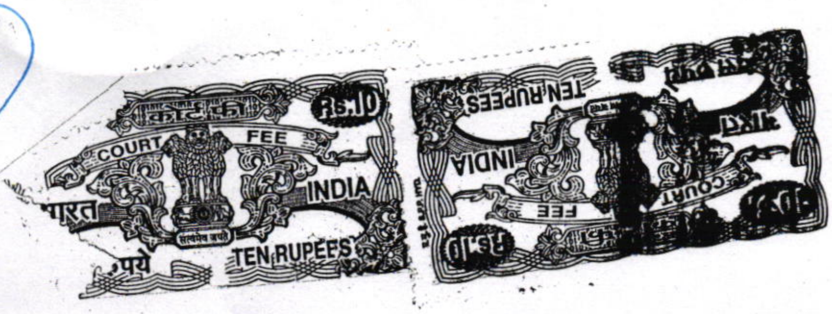

न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्र. ~~/2017-18~~ निगरानी-4991/2018/नीमच/भू.रा.-

राधेश्याम पिता भागीरथ जी जाति-काछी
आयु-50 वर्ष, व्यवसाय-कृषि निवासी-ग्राम
मेघपुरा तहसील जावद जिला नीमच
......आवेदक

...सिंह आंजना
द्वारा पेश
...8/18

विरूद्ध

1. फूलचंद पिता तेजपाल जाति-काछी आयु-
40 वर्ष व्यवसाय-कृषि निवासी-ग्राम
मेघपुरा तहसील जावद जिला नीमच
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक व
पटवारी हलका ग्राम गोठलाई तहसील जावद
जिला नीमच ....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील जावद के द्वारा प्रकरण क्र. 51/अ-12/2017-18 में नस्तीबद्ध प्रकरण दिनांक 25.06.2018 से असंतुष्ट एंवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

प्रकरण का विवरण

यह कि अनावेदक क्र.1 द्वारा विचारण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय जावद के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गुठलाई में स्थित भूमि सर्वे क्र. 104,121,122 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया व दिनांक 23.06.2018 को आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया व प्रार्थी की भूमि सर्वे क्र. 126 रकबा 0.13 आरे भूमि पर अवैध कब्जा होना बताया गया जबकि उपरोक्त सर्वे नंबर 126 आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि चली आ ...ी है एवं आवेदक की बिना सूचना के सीमांकन किया गया। जबकि पड़ौसी कृषक ... सीमांकन के आधार पर

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4994/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कमल सिंह आंजना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	